न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 85 / 2025

खुशहाल सैनी पुत्र गणपत सैनी निवासी निवाई दरवाजा पुरानी टोंक, टोंक राज.
--अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 4.11.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 8.08.2025 को प्रेषित / प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:-

1. जिन कारण / त्रुटियों के आधार पर मेरा पेंशन आवेदन अस्वीकार (reject) किया गया उन कारणों की सूचना दी जाये।
2. पेंशन आवेदन में पाये गए त्रुटिपूर्ण दस्तावेज / विवरणो (details) कि त्रुटियों को इंगित कर (point out) प्रमाणित प्रतिलिपिया (photocopy) भी संलग्न (attach) करे।
3. मेरे द्वारा समस्या समाधान हेतु दी गई शिकायत (क्रमांक 3426) पर अधिकारी / विभाग द्वारा जो कार्यवाही की गई उसकी सूचना / रिपोर्ट (Report) दे।
4. यदि शिकायत पर कोई कार्यवाही नही की गई, तो जिन कारणों से कार्यवाही नहीं की गई उन कारणों की सूचना दे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 1822 दिनांक 16.09.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 868 दिनांक 19.09.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनां का संवंध उपखण्ड अधिकारी टोंक से होने से उनके पत्र कमांक 796 दिनांक 13.08.2025 से प्रार्थना पत्र अन्तरित करते हुए पत्र कमांक 797-98 दिनांक 13.08.2025 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक को पत्र कमांक 1937 दिनांक 03.10.2025, 1999 दिनांक 15.10.2025 व 2063 दिनांक 29.10.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक ने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

738

जिला कलेक्टर
टोंक

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
टोंक (राजस्थान)